Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **पुलिस थाना गुमानपुरा, जिला कोटा का कांस्टेबल जीतराम, तीन हजार रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार।**

जयपुर, दिनांक 10 फरवरी 2026, मंगलवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी कोटा (इन्टे.) ईकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुए **जीतराम कांस्टेबल पुलिस थाना गुमानपुरा, जिला कोटा** को **तीन हजार रूपये** की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान, जयपुर के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया की एसीबी कोटा इकाई को दिनांक 09.02.2026 को परिवादी ने एक शिकायत इस आशय की पेश की कि वह पहले एच.डी.एफ.सी. बैंक के लिये रिकवरी का कार्य करता था, जो अब बंद कर दिया है। परिवादी एक दिन दोस्त की दुकान पर विशाल मार्केट में बैठा था, उस समय थाना गुमानपुरा का कांस्टेबल जीतराम दुकान पर आया तथा झूठे मुकदमें में नहीं फसाने एवं उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करने की एवज में 8,000/– रूपये की मांग की तथा दिनांक 07.02.2026 को 5000 रूपये जबरन ले लिये, तथा शेष 3,000/– रूपये की मांग कर रहा है। दिनांक 09.02.2026 को ही मांग सत्यापन करवाया गया जिसमें आरोपी द्वारा 3,000/– रूपये रिश्वत मांगे जाने की पुष्टि हुई।

एसीबी कोटा रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री आनन्द शर्मा** के निर्देशन में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विजय स्वर्णकार** के नेतृत्व में आज दिनांक 10.02.2026 को **पुलिस निरीक्षक श्रीमती चन्द्र कंवर** एसीबी कोटा (इन्टे.) के दल द्वारा ट्रैप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी से 3,000/– रूपये रिश्वत राशि लेते हुए आरोपी जीतराम को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

एसीबी के **महानिरीक्षक श्री सत्येंद्र कुमार** के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।